न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(147)

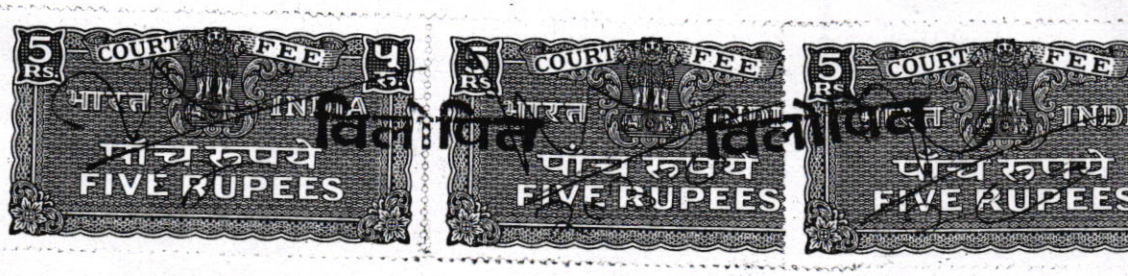

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES विलोपित

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES विलोपित

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

R 609/II/06

राजस्व प्रकरण कमांक / पुनरीक्षण / 2006

1– लाल बहादुर सिंह
2– राजेन्द्र बहादुर सिंह
3– जय बहादुर सिंह — तनय स्व0 श्री इन्द्राज सिंह चौहान
4– सीता देवी पुत्र
5– कुसुम सिंह

6– विमलेश सिंह पत्नी लाल बहादुर सिंह

7– मु0 प्रेमवती सिहं विधवा श्री इन्द्राज सिंह चौहान निवासी ग्राम नौगवां धीर सिंह तहसील गोपदबनास जिला – सीधी म0प्र0

8– राजरमण सिंह
9– विद्यावती सिंह पुत्री — तनय स्व0 श्री उदयराज सिंह चौहान
10– आभेश कुमारी सिंह

11– मु0 वसन्ती देवी विधवा उदयराज सिंह चौहान
निवासी ग्राम खोरबा टोला तहसील सिहावल जिला–सीधी (म0प्र0)

—————— आवेदकगण

28-3-06

बनाम्

1– लहुरइया तनय हुडवा साकेत , निवासी ग्राम नौगवां धीर सिंह तहसील गोपदबनास जिला–सीधी (म0प्र0)

2– म0प्र0 शासन

—————— अनावेदकगण

28/3/06

श्री ... द्वारा आज दि. 28/3/06 को प्रस्तुत

... रीडर
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा, संभाग रीवा के राजस्व प्रकरण कमांक 141 निगरानी / 2003 / 2004 में पारित आदेश दिनांक 02.01.06,

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 (2) मध्यप्रदेश भू–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 609–दो/2006 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
26-9-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0के0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 की ओर से श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । अनावेदक क्र0 2 पैनल अधिवक्ता श्री राजीव गौतम उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 141/निग0/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक की अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम आपत्ति यह थी कि नक्शा सुधार का प्रकरण लंबित है जब तक सीमांकन की कार्यवाही उचित नहीं है । आवेदक की इस आपत्ति के संबंध में न तो अधीनस्थ न्यायालय और न अपर आयुक्त रीवा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, जिससे	

यह साबित हो कि नक्शा सुधार का कोई प्रकरण लंबित है । अतः यह आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर विधि अनुकूल आदेश पारित किया है । जहां तक दूसरी आपत्ति का प्रश्न है तो उसके संबंध में स्थल पंचनामा व सूचना पत्र में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था और सूचना पत्र में सभी के हस्ताक्षर है इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि बिना सूचना के सीमांकन की कार्यवाही की गई है।

5/ वर्तमान राजस्व अभिलेखों के आधार पर की गई सीमांकन की कार्यवाही उचित है क्योंकि संबंधित पक्षकारों को सूचना देने के उपरांत कार्यवाही करना अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में लिखा है । इसके अलावा यदि नक्शा त्रुटिपूर्ण है, अपर कलेक्टर द्वारा नक्शा दुरूस्ती का कोई आदेश पारित किया जाता है तो निगरानीकर्ता तद्नुसार सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2006 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य